कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेडता

न्यायालय परिसर, मेड़ता।

Email : dlsa27merta@gmail.com
Phone 01590-294039

क्रमांक :– 02
दिनांक :– 27/03/25

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक एफ–16 ( ) रालसा/जेएस/एल.ए.डी.सी/2025/29074–109 दिनांक 17.03.2025 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के कार्यालय लीगल एड डिफेंस काउन्सिल सिस्टम मेड़ता हेतु निम्नानुसार पूर्णतया अस्थायी तौर पर अनुबंध के आधार पर निम्न पदों हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र प 17(10) डीओपी/ए–2/94 दिनांक 28 मार्च 2023 के अनुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं लिये जाने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	देय मासिक मानदेय/ पारिश्रमिक
1.	ऑफिस असिस्टेन्ट	1	14000/–(प्रति व्यक्ति)
2.	रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	14000/–(प्रति व्यक्ति)
3.	ऑफिस पिओन	2	11000/–(प्रति व्यक्ति)
	कुल योग	**4**	

आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 28.03.2025 को कार्यालय समय में सायं 5 बजे तक जरिये ईमेल/डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

27/03/25
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
मेड़ता

P.T.O

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक :– 1951–61 दिनांक :– 27/03/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है :–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् अध्यक्ष/सचिव, समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, नागौर/डीडवाना–कुचामन को समस्त अधीनस्थ विभागों/पी.एस.यू में सूचित करने बाबत्।
4. समस्त न्यायालय, मेड़ता न्यायक्षेत्र
5. अध्यक्ष, समस्त तालुका विधिक सेवा समिति, मेड़ता न्यायक्षेत्र
6. जनसम्पर्क अधिकारी, नागौर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु
7. जिला नियोजन अधिकारी, नागौर
8. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा

27/03/25

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
मेड़ता

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी /कर्मचारी के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति के लिये आवेदन– पत्र आवेदन पत्र)

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. जन्म तिथि : ....
4. पता मय मोबाईल नम्बर : ....
....
5. आयु (दिनांक 31.03.2023) ....वर्ष........................माह...................दिन
6. शैक्षणिक एवं तकनीकी आहर्ताए : ....
7. मूल विभाग का नाम : ....
....
8. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद : ....
9. अनुभव : ....
....
10. मूल वेतन : ....
(रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे)
एलपीसी संलग्न करे
11. मूल पेंशन राशि : ....
(पीपीओ की प्रति संलग्न करे।)
12. धारित पद का वेतनमान : ....
(सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र : ....
(संलग्न प्रारूप अनुसार)
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है ....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी/विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति पर लगाने के लिये/सेवारत कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाने के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये समस्त निर्बंधनो और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति/विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार में संविदात्मक प्रतिनियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिये इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

<u>विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती.. पुत्र/पत्नी श्री .... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व .... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती.. की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिष की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती................................ रू0 ....मासिक मूल वेतन (रनिंग पे–बेण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती .... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमती .... के विरूद्व कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्व ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदौन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

मय सील

Scanned with OKEN Scanner